



2026:AHC:57817

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2126/2026

मरगूब आलम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राज कुमार सिंह, रजत अरेन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री एम.जे. अख्तर, अधिवक्ता ने प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से वकालतनामा दायर किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री राज कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, तथा श्री रजत अरेन, विद्वान अधिवक्ता, जो वी.सी. के माध्यम से आवेदक की ओर से उपस्थित हुए, श्री वी.एम. जैदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री एम.जे. अख्तर, विद्वान अधिवक्ता, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से कर रहे हैं, श्री बी.पी. मौर्या, विद्वान ए.जी.ए., राज्य की ओर से सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 309/2025, धारा 318(4), 336(2), 338, 340(2), 351(2), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक सिविल विवाद को आपराधिकता का रंग दिया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक और प्रथम सूचनाकर्ता के मध्य विक्रय हेतु एक मौखिक करार हुआ बताया गया है और आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता से रुपये 15,00,000/- बयाना राशि प्राप्त की बताई गई है, किंतु उसके द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और प्रथम सूचनाकर्ता के मध्य पूर्व में एक संव्यवहार हुआ था और आवेदक ने किसी अन्य संपत्ति के संबंध में प्रथम सूचनाकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया था, किंतु आवेदक को प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं किया गया और उसने वर्तमान वाद के दर्ज होने से पूर्व उक्त विक्रय विलेख को शून्य एवं अप्रभावी घोषित कराने हेतु सिविल वाद दायर किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 माह की देरी के बाद दर्ज की गई है और आवेदक ने वर्तमान वाद के दर्ज होने से पूर्व प्रथम सूचनाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक वाद दायर किया है तथा दिनांक 30.10.2025 को वर्तमान वाद के दर्ज होने से पूर्व एक लिखित रिपोर्ट (तहरीर) दायर की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का एक वाद का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण आवेदन के जापन में दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण या न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होगा। यह कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5. दूसरी ओर, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है और उसने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया है तथा रुपये 15,00,000/- बयाना राशि के रूप में हड़प ली है, किंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं करते कि विक्रय का कोई लिखित करार नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और प्रथम सूचनाकर्ता इससे पूर्व के एक संव्यवहार में शामिल थे और आवेदक ने दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रथम सूचनाकर्ता के विरुद्ध भी आपराधिक वाद दायर किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का एक वाद का आपराधिक इतिहास है।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने भी अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक का एक वाद का आपराधिक इतिहास है।

7. प्रत्युत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने एक वाद के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक और प्रथम सूचनाकर्ता के मध्य विक्रय हेतु एक मौखिक करार हुआ बताया गया है और आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता से रुपये 15,00,000/- बयाना राशि प्राप्त की है, किंतु उसके द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और प्रथम सूचनाकर्ता के मध्य पूर्व में एक संव्यवहार हुआ था और आवेदक ने किसी अन्य संपत्ति के संबंध में प्रथम सूचनाकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया था, किंतु आवेदक को प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं किया गया और उसने वर्तमान वाद के दर्ज होने से पूर्व उक्त विक्रय विलेख को शून्य एवं अप्रभावी घोषित कराने हेतु सिविल वाद दायर किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 माह की देरी के बाद दर्ज की गई है और आवेदक ने वर्तमान वाद के दर्ज होने से पूर्व प्रथम सूचनाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक वाद दायर किया है तथा दिनांक 30.10.2025 को एक लिखित रिपोर्ट (तहरीर) दायर की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का एक वाद का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण आवेदन के ज्ञापन में दिया गया है।

9. यह कथन किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011)**

1 एससीसी 694 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से फरार होने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत से संबंधित स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका तथा वाद की सभी संलग्न तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

11. अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

12. आवेदक- **मरगूब आलम**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे रुपये 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभू, प्रत्येक उसी धनराशि की, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि ऐसे व्यक्ति को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

13. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

20 मार्च, 2026

आरकेएम